न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–191 सन् 2019

सीताराम पाण्डेय.....वादी

बनाम

जय किशुन राय व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 07.03.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 11 की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन दिनांक 09.04.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 11 का आवेदन में कथन है कि इस वाद की जानकारी इन्हें पूर्व में नहीं होने के कारण दिनांक 09.04.2021 को इस वाद में हाजिर हुए हैं। दिनांक 13.11.2020 को न्यायालय द्वारा तामिला संपुष्ट कर दिया गया है। प्रतिवादी ने जानबूझकर इस वाद में उपस्थित होने में विलंब नहीं किया है। अतः निवेदन है कि दिनांक 13.11.2020 के आदेश को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी को इस वाद में संघर्ष करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाए।

वादी की ओर से दिनांक 01.10.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि प्रतिवादी सं0 11 का आवेदन तथ्य एवं विधि दोनों दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0 11 पर निबंधित डाक से दिनांक 19.11.2019 को न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा गया था जिसे उन्होंने जानबूझकर प्राप्त नहीं किया और लौटा दिए। पुनः न्यायालय के आदेश से दिनांक 24.02.2020 को दैनिक आज पेपर में प्रकाशन किया गया। इसके बावजूद प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर न्यायालय द्वारा बाध्य होकर दिनांक 13.11.2020 को तामिला संपुष्ट किया गया। प्रस्तुत वाद वादी के साक्ष्य हेतु चल रहा है। उपर्युक्त तथ्यों

से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 11 वाद को लंबा खिंचने के उद्देश्य से जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 11 का आवेदन न्यायहित में अस्वीकृत किया जाए।

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद एकमात्र वादो के द्वारा कुल 32 प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल किया गया है। जिसमें प्रतिवादी सं0 11 सुरेश प्रसाद पक्षकार हैं और प्रतिवादी सं0 11 दिनांक 09.04.2021 को वकालतनामा के साथ न्यायालय में इस वाद में हाजिर हुए हैं। इस वाद में प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन, रजिस्ट्री समन, अखबार में प्रकाशन की कार्रवाई की गई। परंतु प्रतिवादीगण इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। मात्र प्रतिवादी सं0 11 दिनांक 9.04.2021 को इस वाद में हाजिर हुए। जबकि प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सभी कार्रवाई किए जाने के पश्चात् दिनांक 13.11.2020 को तामिला संपुष्ट की गई है। प्रतिवादी सं0 11 ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि दिनांक 13.11.2020 के आदेश को वापस लेते हुए प्रस्तुत वाद में संघर्ष करने हेतु अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0 11 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.04.2021 को 500/—रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत करते हुए उन्हें इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी सं0 11 को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि वादी को प्रदान कर इस वाद में आगे की कार्रवाई करें।

वाद दिनांक 04.04.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।